मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *293
16.12.2024 को उत्तर के लिए

नदी प्रदूषण

***293. श्रीमती संजना जाटवः**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभिन्न राज्यों में नदी किनारे स्थित शहरों और औद्योगिक इकाइयों के कारण नदियां प्रदूषित हो रही हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(घ) नदियों में अपशिष्ट/औद्योगिक अपशिष्टों के विसर्जन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं, और
(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'नदी प्रदूषण' के संबंध में माननीय संसद सदस्य, श्रीमती संजना जाटव द्वारा दिनांक 16.12.2024 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *293 के उत्तर के भाग (क) से (ङ) में उल्लिखित विवरण

(क) से (ख) नदियों में प्रदूषण का प्रमुख कारक, शहरों/कस्बों से अशोधित या आंशिक रूप से शोधित मल-जल और औद्योगिक बहि:स्रावों के निस्सरण, ठोस अपशिष्ट का अनुचित प्रबंधन, मल-जल/अपशिष्ट शोधन संयंत्रों के संचालन और रखरखाव में समस्याएं, जल मिश्रण की कमी और प्रदूषण के अन्य बिखरे हुए स्रोत हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग (जीपीआई) को एक ऐसे उद्योग के रूप में परिभाषित किया है जो अपशिष्टों को जल स्त्रोतों में निस्सरित कर रहा है और (क) खतरनाक पदार्थों (पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत खतरनाक रसायनों का उत्पादन, भंडारण और आयात नियम, 1989 की अनुसूची-I, भाग-II के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार) की हैंडलिंग कर रहा है और/या (ख) 100 किलोग्राम प्रति दिन या उससे अधिक बीओडी भार वाले अपशिष्टों का उत्पादन कर रहा है। एसपीसीबी/पीसीसी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, देश में कुल 3,519 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग हैं। एसपीसीबी/पीसीसी से प्राप्त जीपीआई की राज्य-वार स्थिति का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

सीपीसीबी ने (वर्ष 2019 और वर्ष 2021 में निगरानी की गई 603 नदियों) में से 279 नदियों पर 311 प्रदूषित नदी खंडों की पहचान की है। वर्ष 2022 में अभिज्ञात किए गए प्रदूषित नदी खंडों की राज्य-वार संख्या का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ग) से (घ) सीपीसीबी द्वारा अभिज्ञात किए गए प्रदूषित नदी खंडों के पुनरुद्धार के लिए, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गठित "नदी पुनरुद्धार समिति" (आरआरसी) नामक चार सदस्यीय समिति द्वारा कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं, ताकि सीपीसीबी द्वारा अभिज्ञात किए गए सभी प्रदूषित नदी खंडों को स्नान के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त (अर्थात बीओडी <3 mg/L और एफसी <500 MPN/100 mL) बनाया जा सके।

इन कार्ययोजनाओं में स्रोत नियंत्रण (नगरीय मल-जल प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट प्रबंधन), नदी जलग्रहण/बेसिन प्रबंधन (अच्छी सिंचाई पद्धतियों को अपनाना, शोधित मल-जल का पुनःउपयोग, भूजल पुनर्भरण पहलू), बाढ़ समतल क्षेत्र संरक्षण और उसका प्रबंधन (जैव-विविधता पार्कों की स्थापना, अतिक्रमण हटाना, वर्षा जल संचयन, नदी के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण), पारिस्थितिकी/पर्यावरणीय प्रवाह (ई-फ्लो) और वाटरशेड प्रबंधन जैसे पहलुओं को शामिल किया गया है। इन कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा राज्य स्तर पर आरआरसी द्वारा और केंद्रीय स्तर पर जल शक्ति मंत्रालय द्वारा गठित केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमसी) द्वारा की जाती है।

नदियों में अपशिष्ट/औद्योगिक बहि:स्रावों को निस्सरित करने से रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, उद्योगों से भूमि की सतह पर/जल निकायों में निस्तारित किए जाने वाले बहि:स्रावों, संचालन या प्रक्रियाओं के लिए मानकों का निर्माण करना और अधिसूचना जारी करना; राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) द्वारा संस्थापित/संचालित और नियमित निगरानी के लिए सहमति तंत्र के माध्यम से इन मानकों को लागू करना; जल गुणवत्ता के आकलन के लिए निगरानी नेटवर्क की स्थापना करना; जल निकायों में बहि:स्रावों के सीधे निस्सरण की जांच करने के लिए ऑनलाइन सतत अपशिष्ट निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) की स्थापना करना; स्वच्छतर उत्पादन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना; शहरों में मल-जल शोधन संयंत्रों की स्थापना करना; लघु उद्योग इकाइयों के समूह के लिए साझा अपशिष्ट शोधन संयंत्रों की स्थापना करना आदि शामिल हैं।

इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने अपने अधीनस्थ स्वायत्त निकाय, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई), देहरादून के माध्यम से वानिकी कार्यकलापों के माध्यम से तेरह प्रमुख नदियों के पुनरुद्धार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की है। इन नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी शामिल हैं। एमओईएफएंडसीसी द्वारा डीपीआर को जून 2022 में कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

इसके अलावा, गंगा और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करने और संधारणीय स्वच्छता प्रदान करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम (एनजीपी) के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

i. अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) का वार्षिक निरीक्षण करना : जीपीआई का निरीक्षण वर्ष 2017 में शुरू हुआ। वर्ष 2024 में, निरीक्षण के 7वें चरण में 4246 अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) की सूची बनाई गई है। अब तक निरीक्षित 2487 जीपीआई में से 1425 जीपीआई मानदंडों का अनुपालन करने वाले हैं, 572 में मानदंडों का अनुपालन नहीं हो रहा है तथा 490 संचालन योग्य नही हैं। मानदंडों का अनुपालन नहीं करने वालों (572 जीपीआई) में से 15 जीपीआई को बंद करने का नोटिस जारी किया गया है तथा 557 जीपीआई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप बीओडी भार वर्ष 2017 में 26 टन प्रति दिन (टीपीडी) से घटकर वर्ष 2022 में 13.73 टीपीडी हो गया है और बहि:स्राव निस्सरण में लगभग 28.6% की कमी आई है, जो वर्ष 2017 में 349 एमएलडी से घटकर वर्ष 2022 में 249.31 एमएलडी हो गया है।

ii. एनएमसीजी में, गंगा और यमुना नदी पर नदी के जल की गुणवत्ता; मल-जल शोधन संयंत्र (एसटीपी) के निष्पादन आदि की निरंतर निगरानी के लिए एक ऑनलाइन डैशबोर्ड "प्रयाग" शुरू किया गया है;

iii. गंगा नदी के किनारे बसे पांच राज्यों के 4,507 चिन्हित गांवों में पृथक घरेलू शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है। गंगा के किनारे बसे इन सभी गांवों को अब खुले में शौच से मुक्त

(**ओडीएफ**) घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा, अभी तक गंगा नदी के किनारे बसे 3,679 गांवों को ओडीएफ संधारणीयता (**ओडीएफ प्लस**) प्राप्त करने वाले गांव घोषित किया गया है;

iv. उत्तर प्रदेश के सात जिलों (मिर्जापुर, बुलन्दशहर, हापुड, बदायूँ, अयोध्या, बिजनौर और प्रतापगढ़) में सात गंगा जैव विविधता पार्क स्थापित किए गए है;

v. आर्द्रभूमि संरक्षण : उत्तर प्रदेश (3), बिहार (1) और झारखंड (1) में 5 प्राथमिकता वाली आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए मंजूरी दी गई है;

vi. एनएमसीजी ने राज्य वन विभाग के माध्यम से गंगा नदी के मुख्य तट पर वानिकी कार्यकलाप परियोजना लागू की है। लगभग 398 करोड़ रुपये की लागत से 33,024 हेक्टेयर क्षेत्र में वनरोपण किया गया है;

vii. केंद्रीय अन्तर्स्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान (सीआईएफआरआई) द्वारा कार्यान्वित विशेष परियोजना के तहत मत्स्य जैव विविधता और नदीय डॉल्फ़िन के शिकार आधार को संरक्षित करने और गंगा बेसिन में मछुआरों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2017 से गंगा में कुल 105 लाख इंडियन मेजर कार्प (आईएमसी) फिंगरलिंग्स को पाला गया है;

viii. भारतीय वन्य जीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई), देहरादून और राज्य वन विभाग के सहयोग से डॉल्फिन, ऊदबिलाव, हिल्सा, कछुए और घड़ियाल जैसी जलीय प्रजातियों के लिए विज्ञान आधारित प्रजाति पुनःप्राप्ति कार्यक्रम, बचाव और पुनर्वास कार्यक्रम में डॉल्फिन, ऊदबिलाव, हिल्सा, कछुए और अन्य नदी प्रजातियों की संख्या में वृद्धि हुई है और इनकी जैव विविधता में उल्लेखनीय सुधार दिखाया है;

ix. उत्तर प्रदेश राज्य में एनएमसीजी को उसके निर्धारित कार्यों जैसे (क) मृदा क्षरण को रोकने के लिए वृक्षारोपण; (ख) जन जागरूकता/भागीदारी अभियानों का प्रबंधन; (ग) जैव विविधता संरक्षण के लिए संवेदनशील नदी क्षेत्रों की गश्त; (घ) घाटों की गश्त, आदि को पूरा करने में सहायता करने के लिए गंगा टास्क फोर्स (जीटीएफ) का गठन किया गया था।

x. गंगा नदी की सफाई और संरक्षण के प्रयासों के प्रति लोगों में जिम्मेदारी और सहभागिता की भावना पैदा करने के लिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। इनमें गंगा उत्सव, नदी उत्सव, नियमित सफाई अभियान और वृक्षारोपण अभियान, घाट पर योग, गंगा आरती आदि शामिल हैं। इन प्रयासों को गंगा प्रहरी, गंगा विचार मंच, गंगा दूत आदि जैसे समर्पित गंगा रक्षकों का भी सहयोग प्राप्त है।

xi. औद्योगिक बहि:स्रावों के प्रदूषण को कम करने के लिए, एनएमसीजी ने साझा बहि:स्राव शोधन संयंत्र (सीईटीपी) की 5 औद्योगिक परियोजनाओं अर्थात जाजमऊ सीईटीपी (20 एमएलडी), बंथर सीईटीपी (4.5 एमएलडी), उन्नाव सीईटीपी (2.65 एमएलडी), मथुरा सीईटीपी (6.25 एमएलडी)

और गोरखपुर सीईटीपी (4.5 एमएलडी) को मंजूरी दी है। मथुरा सीईटीपी (6.5 एमएलडी) और जाजमऊ सीईटीपी (20 एमएलडी) परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

(ङ) सीपीसीबी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के समन्वय में राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के तहत 645 नदियों पर 2155 स्थानों सहित 4736 स्थानों पर जलीय संसाधनों की जल गुणवत्ता निगरानी करता है। केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम- प्रदूषण नियंत्रण- पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम के तहत संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी और सीपीसीबी के क्षेत्रीय निदेशालय के माध्यम से जल गुणवत्ता निगरानी के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान एमओईएफएंडसीसी द्वारा स्वीकृत राशि इस प्रकार है :

वर्ष	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
राशि (करोड़ में)	15.50	12.17	20.58

इसके अलावा, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम (एनजीपी) के अंतर्गत 6,255 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) मल-जल शोधन क्षमता के विकास और स्थापना हेतु 32,513 करोड़ रुपये की लागत से कुल 203 मल-जल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 3327 एमएलडी की मल-जल शोधन क्षमता का विकास किया गया है। वर्ष 2021-22 से 15 नवंबर 2024 तक भारत सरकार द्वारा एनएमसीजी को कुल 7921.6 करोड़ रूपये जारी किए गए हैं और एनजीपी के तहत विभिन्न परियोजनाओं/कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए एनएमसीजी द्वारा विभिन्न एजेंसियों को 7,574.25 करोड़ रूपये की राशि वितरित की गई है।

****

अनुलग्नक-I

देश में अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) की अनुपालन स्थिति

(एसपीसीबी/पीसीसी से प्राप्त स्थिति)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जीपीआई की संख्या	स्वयं द्वारा बंद किये गये जीपीआई की संख्या	प्रचालनरत जीपीआई की संख्या	पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन करने वाले जीपीआई की संख्या	पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन नहीं करने वाले जीपीआई की संख्या	पर्यावरणीय मानकों का अनुपालन नहीं करने पर जिन जीपीआई के विरुद्ध कार्रवाई की गई है उनकी संख्या		
							कारण बताओ नोटिस जारी	बंद करने का निर्देश जारी	इकाई को पत्र/निर्देश
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	200	3	197	194	3	3	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
4	असम	12	0	12	12	0	0	0	0
5	बिहार	78	19	59	44	15	15	0	0
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ	35	6	29	21	8	1	7	0
8	दमन दीव और दादरा नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	196	34	162	155	7	2	5	0
10	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
11	गुजरात	25	2	23	20	3	2	0	1
12	हरियाणा	1140	174	966	956	10	5	5	0
13	हिमाचल प्रदेश	2	0	2	2	0	0	0	0
14	जम्मू एवं कश्मीर	1	0	1	1	0	0	0	0
15	झारखंड	5	0	5	5	0	0	0	0
16	कर्नाटक	3	0	3	3	0	0	0	0
17	केरल	23	2	21	19	2	2	0	0
18	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
21	महाराष्ट्र	1	0	1	1	0	0	0	0
22	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
23	मेघालय	2	0	2	2	0	0	0	0
24	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
25	नगालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ओडिशा	6	0	6	6	0	0	0	0
27	पुदुचेरी	5	2	3	3	0	0	0	0
28	पंजाब	10	0	10	10	0	0	0	0
29	राजस्थान	1	0	1	1	0	0	0	0
30	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0
32	तेलंगाना	2	0	2	2	0	0	0	0
33	त्रिपुरा	5	0	5	5	0	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	1644	410	1234	1179	55	0	55	0
35	उत्तराखंड	67	9	58	57	1	0	1	0
36	पश्चिम बंगाल	56	8	48	48	0	0	0	0
	कुल	**3519**	**669**	**2850**	**2746**	**104**	**30**	**73**	**1**

अनुलग्नक-II

वर्ष 2022 में अभिज्ञात प्रदूषित नदी खंडों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीआरएस की कुल संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	3
2.	असम	10
3.	बिहार	18
4.	छत्तीसगढ	6
5.	दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली	1
6.	दिल्ली	1
7.	गोवा	6
8.	गुजरात	13
9.	हरियाणा	3
10.	हिमाचल प्रदेश	9
11.	जम्मू एवं कश्मीर	8
12.	झारखंड	9
13.	कर्नाटक	17
14.	केरल	18
15.	मध्य प्रदेश	19
16.	महाराष्ट्र	55
17.	मणिपुर	13
18.	मेघालय	7
19.	मिजोरम	3
20.	नगालैंड	4
21.	ओडिशा	7
22.	पुदुचेरी	3
23.	पंजाब	5
24.	राजस्थान	14
25.	तमिलनाडु	10
26.	तेलंगाना	9
27.	त्रिपुरा	1
28.	उत्तर प्रदेश	17
29.	उत्तराखंड	9
30.	पश्चिम बंगाल	13
कुल योग		**311**

*****